

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 उर्फ परमजीत कौर बनाम मलकीत सिंह व अन्य
 प्रकरण संख्या 2023 / 039
 online #

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीए

आदेश अथवा कार्यवाही विवरण

आदेश दिनांक

आदेश क्रमांक एवं दिनांक

17.05.2023

वादी अधिवक्ता श्री रमेश सिंह द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 31 मई, 2023 को पेश हो.

सहायक कलक्टर एवं
 कार्यापालक दण्डनायक
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

31.05.23

आज पीठासीन अधिकारी...
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 तिनांक 14/05/23...को पेश हो

14/06/23 आज पीठासीन अधिकारी...
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 तिनांक 23/05/23...को पेश हो

23/06/23 आज पीठासीन अधिकारी...
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 तिनांक 21/05/23...को पेश हो

23/08/23 आज पीठासीन अधिकारी...
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 तिनांक 21/04/23...को पेश हो

21/9/23 आज पीठासीन अधिकारी...
 पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
 तिनांक 8/11/23...को पेश हो



23.10.24

अधिकांशवासी डफर गरी अधिकांश
को आदेश वमिषक 5 कार भीकर्मगरी
भी 125 मात्र सिगकं 04.09.24 को ही को
पुकी वे पल्लु गरी अधिकांश के प्रति मीठान
की तकनी का डिमांड तक नही उल्लेखी डफर
धुम्रगरी आदेश व सिगक 5 कार
तदत्र नार्थवासी की जकर पुकरा वमिषा
स्तर पर खारिज डिमांड जलानी पत्रावली
नस्तीकड हो। फलपत्नी 91 परा प्रेसिडेंट के उक्त
के कस की कामि प्री. 01 की डफर के श. 01 क
दी. 24

23.10.24

अधिकांशवासी उपर्युक्त गाँव अधिकांश
 को आदिवासी समिपक 5 CR2 की कार्यवाही
 की है। 29 मार्च 2024 को की गई
 सुनवाई से पट्टा जारी अधिकांश के प्रति अधिकार
 की तहकी का प्रमाणित नहीं उल्लेख की जाये
 अधिकांश को आदिवासी 5 CR2 के
 तहत कार्यवाही की जाकर प्रमाणित किया
 स्तर पर स्थापित किया जाये। फलस्वरूप
 नस्तीकट हो। फलस्वरूप प्रमाणित की जाये
 के तहत की जाये। प्रमाणित की जाये।
 दी है